

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 01/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/232/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 232 / 2024 अनवान सोहनी देवी पत्नी प्रभुलाल रेगर निवासी जहाजपुर बनाम संगीता पत्नी पृथ्वीराज मीणा(अध्यापक) हाल निवासी जहाजपुर, कमला पत्नी भगवान लाल महाजन निवासी पंडेर, दीपक कुमार पिता बन्नालाल रेगर निवासी खजूरिया खेड़ा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पंडेर प.ह. पंडेर आराजी सं. 2056/21, 2056/41 कुल कित्ता 02 रकबा 1.1979 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक पंडेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# फर्द अहकाम

(निगम 20)

आज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

शोहनी देवी पत्नी प्रभुलाल रेगर निवासी जहाजपुर  
बनाम

संगीता पत्नी पृथ्वीराज मीणा(अध्यापक) हाल निवासी जहाजपुर वगैरह

मुकदमा नंबर 232 /2024

नियम मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो हुकम की  
तामील में जारी हुये

तारीख हुकम

01-05-24

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पंडेर प.ह. पंडेर आराजी सं. 2056/21, 2056/41 कुल किता 02 रकबा 1.1979 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की टाईड में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम पंडेर प.ह. पंडेर आराजी सं. 2056/21, 2056/41 कुल किता 02 रकबा 1.1979 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पंडेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)